महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.आ. जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of Education, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN – 456006 (M.P.)

प.सं. 5-68/2022/(शै.)मसारावेविप्र/1428 दिनांकः 30/07/2022

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महर्षि वेदव्यास वेदविद्यापीठ, डी-134 महेन्द्रा एन्कलेव,

सिल्वरशाइन स्कूल के पास शास्त्रीनगर,

गाजियाबाद – 201002 (उत्तरप्रदेश)

विषयः- (1) भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को प्रतिष्ठान में लागू करने के विरोध करने वाले आप के वेद विद्यापीठ के अध्यापक।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उल्लिखित परीक्षा प्रणाली के विरोध करने वाले आप के वेद विद्यापीठ के अध्यापक।

(3) मासिक वेद परीक्षा में अनुपस्थिति ।

(4) वेद अध्यापन कार्य गुणवत्ता पूर्वक सुचारु नहीं होने के कारण अनुदान बन्द करने के संबंध में।

महोदय,

आपका दिनांक 08.07.2022 का पत्र एवं प्रतिष्ठान का नोटिस दिनांक 06.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके उत्तर का अनुशीलन करने के उपरान्त आपको यह सूचित किया जा रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की स्थापना वेदों के अध्ययन की - श्रुति (मौखिक) परम्परा के संरक्षण, संवर्धन, विकास के लिये ई. 1987 में की गयी है जिसकी संपूर्ति के लिये पाठशालाओं एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से वेदों का अध्यापन कराया जाता है, बटुक सस्वर वेद अध्ययन करते हैं । भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को वेद पाठशालाओं को प्रतिवर्ष आवेदन प्राप्त कर, वेद अध्ययन में गुणवत्ता होने पर, मानिटरिंग कर सहायता राशि के रूप में अनुदान देने का प्रावधान है। वेद पाठशालाओं के अध्यापकों का संपूर्ण उत्तरदायित्व एवं अनुशासन सोसाइटी / ट्रस्ट का है। प्रत्येक वर्ष अनुदान हेतु नवीन आवेदन प्राप्त कर ही अनुदान दिया जाता है, अतः यह अनुदान शाश्वत अनुदान नहीं है, उद्योग नहीं है, योजना के अन्तर्गत अनुदान निरन्तरता कानूनी हक भी नहीं है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.आ. जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of Education, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN – 456006 (M.P.)

2022-23 वर्ष हेतु जब से आप के विद्यालय से अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, तब से आप के संस्था - विद्यालय के अध्यापक जून-2022 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अन्य सरकारी पालिसी के विरोध में लगे हैं। अतः तत्काल प्रभाव से आप के वेद विद्यालय को योजनागत सहायता रूप में अनुदान नहीं दिया जा सकेगा, क्योकि प्रतिष्ठान द्वारा लागू किये गये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबद्ध प्रावधानों का एवं अन्य सरकारी पालिसी का विरोध आप के अध्यापक लोगों ने किया है । सरकारी पालिसी का विरोध करने पर सहयता अनुदान नहीं मिल सकता।

आप के अध्यापकों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरोध का विवरण-

1. भारत सरकार द्वारा दिनांक 29-7-2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दी गई थी। दिल्ली में भारत सरकार द्वारा 29-7-2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा था। श्री योगेश शर्मा एवं श्री ब्रजेश शर्मा, श्री शेषराज रेग्मी तथा अन्य अध्यापक एवं आप के महर्षि वेदव्यास वेदविद्यापीठ से जुडे सदस्य, प्रतिष्ठान सचिव के विरोध करने के बाबत, दिल्ली के जन्तर मन्तर में, 29-7-2022 को ही (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ के दिन ही) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरोध करने पहुंचे थे। प्रतिष्ठान के सचिव, पाठ्यक्रम, मानदेय आदि के खिलाफ़ जमकर नारेबाजी की। श्री शेषराज रेग्मी ने अपने भाषण में पाठ्यक्रम का, मासिक परीक्षा का विरोध किया, समान वेतन मान का जिक्र किया, तथा आदर्श वेदविद्यालय के ढांचे का विरोध किया, वेद विद्यालयों में बहु-विषय, आयाम-विविध विषय पढाने की बात का भी विरोध किया था। श्री योगेश शर्मा ने विद्यार्थियों को सामने बैठाकर प्रतिष्ठान की पालिसी का विरोध करने का पाठ पढाया, अन्य सभी अध्यापकों ने सरकार के पालिसी के विरोध करने में साथ दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निदेशित प्रतिवर्ष 50 घंटे प्रशिक्षण, जिसके अन्तर्गत अध्यापकों को प्रतिष्ठान में बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका भी विरोध किया है। श्री योगेश शर्मा एवं श्री ब्रजेश शर्मा एवं अन्य, महर्षि वेदव्यास वेदविद्यापीठ में जो एक ही परिवार से संबद्ध तीन अध्यापक हैं, मिलकर, हाय - हाय करते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पालिसी का विरोध किया है।
2. वाह्वप ग्रुप में संदेश एवं सोशल मीडिया पर सभी को उकसाने के लेख से स्पष्ट है कि प्रतिष्ठान सचिव के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के बाबत में श्री योगेश शर्मा, श्री ब्रजेश शर्मा एवं श्री शेषराज रेग्मी एवं इन सभी के प्रदर्शनकारी अपने नारेबाजी करते करते भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरोध में उतकर आये है। सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे अध्यपकों को इस के गंभीर परिणाम सोचने चाहिये, गंभीर

परिणाम भी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध प्रतिष्ठान के पाठ्यक्रमों के समकक्ष मान्यता हेतु घातक है। बोर्ड गठन प्रक्रिया हेतु विरोधी गतिविधि है।

श्री योगेश शर्मा, श्री ब्रजेश शर्मा एवं श्री शेषराज रेग्मी आदि आन्दोलनकारियों के संज्ञान में है कि प्रतिष्ठान का पाठ्यक्रम 2018 से लागू है, वेद भूषण 1-5, तथा वेदविभूषण 1-2 तक आधुनिक में लेखन परीक्षा जारी है, भारत सरकार-एन सी ई आर टी द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यपुस्तकों के मूल बिन्दुओं पर आधुनिक विषय अध्यापन कराने हेतु निर्देश जारी है। सभी विषय जुलाई 2017 में शासी परिषद से अंगीकृत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4.38 के अन्तर्गत संबन्धित अध्ययन के बाद छोटे छोटे माड्यूल पर परीक्षा लेने का प्रावधान है, काफी कम पाठ्यक्रम से प्रत्येक विषय का टेस्ट लिया जायेगा जो कि संबन्धित कोर्स के तुरन्त बाद लिया जायेगा, जिसे वेद के मासिक परीक्षा के रूप में निर्देशित किया गया है। प्रत्येक 15 दिनों में वेद परीक्षा आयोजित करने की परम्परा वेद अध्ययन में रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4.32 के अन्तर्गत यह लिखा गया है कि एन सी ई आर टी के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जायेगा। यह भी उल्लिखित है कि एन सी ई आर टी द्वारा सभी पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने कि सुविधा करायी जाएगी। यह सभी अध्यापकों को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रतिष्ठान गुणवत्ता को ध्यान में रखकर, वेदभूषण एवं वेदविभूषण के आधुनिक विषयों के अध्यापन में एन सी ई आर टी द्वारा निर्मित पुस्तकों का अनुसरण करेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रतिष्ठान के पुस्तक बनने तक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा का विरोध करने पहुंचे ये सभी अध्यापक 4.16, 4.17, 4.27, 4.28, 4.30 का भी विरोध कर बैठे, तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली का पाठ्यक्रम में समावेश का भी विरोध किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5.15 के अन्तर्गत अध्यापकों को गुणवत्ता हेतु प्रतिवर्ष 50 घंटे प्रशिक्षण देने का निर्देश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6.15 के अन्तर्गत पारम्परिक विद्यालयों को मैन - स्ट्रीमिंग - मुख्य अध्ययन धारा से जोडने की पालिसी है, जिससे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अवसर होंगे। इसका भी इन्होंने विरोध किया है।

इन सभी विरोध का मूल केन्द्र (1) श्री योगेश शर्मा (2) श्री ब्रजेश शर्मा एवं श्री शेषराज रेग्मी एवं अन्य अध्यापक, तथा महर्षि वेदव्यास वेदविद्यापीठ गाजियाबाद है।

(1) श्री योगेश शर्मा (2) श्री ब्रजेश शर्मा को शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा वेद कण्ठस्थ नहीं होने की स्थिति :-

3. प्रतिष्ठान नियमावली अनुसार वेद अध्यापक को किसी गुरु के सान्निध्य में रहकर सम्बन्धित वेद शाखा की संहिता में पारंगत होना चाहिये जिसका उनके पास कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिये अथवा वह प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेदपाठशाला/गुरु शिष्य परम्परा योजना में पूर्ण अध्ययन का वेद विभूषण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिये । श्री महर्षि वेदव्यास वेद विद्यापीठ के वेद अध्यापक (1) श्री योगेश शर्मा (2) श्री ब्रजेश शर्मा के प्रमाण पत्रों के संबंध में कई बार पिछले दो वर्षों से लगातार सस्वर वेद के कण्ठस्थीकरण का अभाव होने की सूचना प्राप्त थी । दोनों सम्माननीय गुरुओं को शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के निपुण गुरु के सान्निध्य में स्वाध्याय हेतु- कण्ठस्थीकरण, स्वर सञ्चालन उच्चारण की स्थिति के दृढता के लिए पिछले दो वर्षों से लगातार निर्देश दिया गया था। बहुत दुःख की बात है कि श्री योगेश शर्मा जी पिछले 15 वर्षों से शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन वेद शाखा अध्यापक होते हुए भी, श्री ब्रजेश शर्मा जी पिछले 10 वर्षों से शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन वेद शाखा वेद अध्यापक होते हुए भी शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के 40 अध्यायों के वेद मंत्रों को कण्ठस्थ सुनाने में असमर्थ रहे हैं, वेद संहिता देखकर कुछ अध्यायों को सस्वर शुद्ध पढना भी असंभव जैसा रहा है।
4. इन दोनों वेदाध्यापकों के पास सस्वर वेद अध्ययन का कोई भी मान्य प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही वेद अध्ययन का कोई मान्य आधार है । इन्होंने अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि दोनों अध्यापकों के पास किसी भी मान्य संस्था से शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा के पारम्परिक सस्वर वेद अध्ययन का प्रमाणित प्रमाण पत्र नहीं है, न ही वेद कण्ठस्थीकरण का उल्लेख है ।
5. उक्त दोनों वेदाध्यापकों को वेद अध्ययन/अध्यापन की गुणवत्ता की जांच करने हेतु समिति के समक्ष आनलाईन/साक्षात उपस्थित होने हेतु जून 2020 से तथा वित्तीय वर्ष दिनांक 1/4/2021 से कई बार निर्देशित किया गया। दिनांक 5 से 10 अगस्त, 2021 तक प्रतिष्ठान परिसर में उपस्थित होकर शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के सम्पूर्ण संहिता पाठ तथा वेद प्रशिक्षण के लिये बुलाया गया था । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक वेद गुरु द्वारा यह देखा गया कि दोनों वेदाध्यापकों को वेद के उच्चारण तथा स्वर में ध्यान देने की महती आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में प्रतिष्ठान के पत्र दिनांक 17/8/2021 द्वारा अवगत करा दिया गया

था। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन वेद शाखा के वरिष्ठ आचार्य के सामने वेद संहिता सुनाने से दोनों ने मना भी किया था।

6. यह भी निरीक्षित किया गया कि पं श्री योगेश शर्मा एवं पं श्री बृजेश शर्मा को सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा संहिता कण्ठस्थ नहीं है, वेद मंत्र सुनाने से भी इन्होंने मना कर दिया। वेद की शाखा का सम्पूर्ण कण्ठस्थ नहीं होने पर, सस्वर उच्चारण नहीं होने के कारण इन दोनों द्वारा वेद अध्यापन नहीं कराया जा सकता है एवं सस्वर वेदों का संरक्षण इन के द्वारा किये जाने वाले अध्यापन से नहीं होगा।
7. वेद पाठशाला में वेद अध्यापकों को उनके द्वारा उच्च गुणवत्ता के मापदण्ड पर वेद पढाने के आधार पर मानदेय प्रदान करने का प्रावधान है, यह वेतन आधारित व्यवस्था नहीं है, उद्योग भी नहीं है। अत: इन दोनों पं श्री योगेश शर्मा एवं पं श्री बृजेश शर्मा को वेद का सम्पूर्ण कण्ठस्थीकरण के अभाव में अनुदान जारी रखना प्रतिष्ठान के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इन दोनों को वेद के अध्यापन हेतु अनुदान जारी रखना सरकारी अनुदान का सदुपयोग नहीं होगा। इनके द्वारा सम्पूर्ण माध्यन्दिन संहिता का 40 अध्याय कण्ठस्थ सुनाने एवं उस को रिकार्ड के रूप में संरक्षित करने के बाद ही अनुदान पर विचार हो सकेगा।
8. प्रतिष्ठान के प्राधिकरणों ने यह निर्देश दिये हैं कि <u>"प्रतिष्ठान द्वारा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनुदान जारी किया जा रहा है उसकी उचित मानीटरिंग कर सस्वर वेद-विद्या के अध्ययन एवं अध्यापन की गुणवत्ता को बढाते हुए तथा प्रतिष्ठान के समस्त दिशा-निर्देशों का पालन कर ही अनुदान जारी किया जाये।"</u>
यहां मानिटरिंग शब्द का अर्थ है कि <u>" किसी स्थिति को कुछ समय के लिए ध्यान से देखना और जांचना ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके"।</u> पं श्री योगेश शर्मा एवं पं श्री बृजेश शर्मा जी दोनों ने इस मानिटरिंग में सफल नहीं होने के कारण अनुदान जारी नहीं किया जा सकता है।
9. प्रतिष्ठान अपने प्राधिकरणों/समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों तथा वेद पाठशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली नियमावली का पूरी तरह से पालन कर ही दिशा-निर्देश प्रदान करता है। वेद की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार से प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग करने पर ही प्रतिवर्ष स्वीकृत कर वेद पाठशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार के अनुदान हेतु स्वीकृत नियमानुसार "स्वीकृत धन का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा है तो अनुदान की अदायगी रोकी जा सकती है"। पं श्री योगेश शर्मा एवं पं श्री बृजेश शर्मा को वेद का सम्पूर्ण

कण्ठस्थीकरण नहीं होने के कारण, पाठशाला द्वारा अनुमोदित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। ये सभी भारत सरकार की पालिसी के विरोध में भी लगे हैं।

10. उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेद पाठशालाओं/इकाइयों को वेद के सस्वर अध्ययन-अध्यापन को सफल बनाने हेतु प्रतिमाह अनुदान जारी किया जाता है। प्रतिष्ठान की शासी परिषद् के आदेशानुसार वेद पाठशाला/इकाइयों में अध्ययनरत छात्रों के सस्वर वेद अध्ययन की गुणवत्ता का आकलन करने, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रतिमाह अनुदान जारी किया जा रहा है उसकी उचित मानीटरिंग कर सस्वर वेद-विद्या के अध्ययन एवं अध्यापन की गुणवत्ता को बढाने एवं अध्ययन में सुधार की दृष्टि से प्रतिष्ठान द्वारा जारी आदेश क्रमांक – 1154 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रतिष्ठान से अनुदानित प्रत्येक वेदपाठशाला/इकाई में अध्ययनरत छात्रों की वेद की आनलाईन मासिक परीक्षा आयोजित की जा रही है।
11. इसी क्रम में आपके पाठशाला से भी आनलाईन मासिक वेद परीक्षा हेतु दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2022 को परीक्षकों द्वारा आपसे आनलाईन संपर्क किया गया था। जिसमें आपके विद्यालय के वेदाध्यापक श्री योगेश शर्मा ने छात्रों के माध्यम से मासिक परीक्षा देने से स्पष्ट मना किया । इसी तरह, वेदाध्यापक श्री योगेश शर्मा के भाई श्री व्रजेश शर्मा ने भी छात्रों के आनलाईन मासिक परीक्षा दिलाने में कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया, परीक्षा दिलाने से स्पष्ट मना भी किया ।
12. जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रतिमाह अनुदान जारी किया जा रहा है उन उद्देश्यों की सफलता की जांच हेतु उचित मानीटरिंग प्रतिमाह करना जरूरी है। यहां मानिटरिंग शब्द का अर्थ है कि <u>" किसी स्थिति को कुछ समय के लिए ध्यान से देखना और जांचना ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके"।</u> प्रतिमाह छात्र वेद अध्ययन कर रहें हैं या नहीं?, प्रतिमाह अध्यापक पढा रहे हैं या नहीं?, इसकी जांच के बिना केवल NGO से प्राप्त उपस्थिति देखकर सरकारी अनुदान-धनराशि प्रतिमाह जारी नहीं किया जा सकता है। प्रतिमाह सरकारी अनुदान-धनराशि का उत्तरदायित्व निर्वहण के लिए प्रतिमाह परीक्षा अनिवार्य है। परीक्षा, निरीक्षण आदि अनुदान जारी प्रक्रिया का भाग है। यह विषय आदेश में स्पष्ट किया जा चुका है।
13. अतः प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित मासिक वेद परीक्षा में वेदाध्यापक श्री योगेश शर्मा एवं श्री व्रजेश शर्मा तथा अन्य अध्यापक प्रतिमाह परीक्षा का विरोध किया है, वेद प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है, तथा दोनों ने विरोध करने हेतु अपने अधीनस्थ छात्रों को उकसाया है। विरोध का एकमात्र उद्देश्य है कि सस्वर वेद अध्यापन का

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.आ. जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of Education, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN – 456006 (M.P.)

प्रतिमाह मानिटरिग में बाधा हो, बिना वेद पढाए परिवार के तीन सदस्यों को मानदेय मिलता रहे, परिवार के सदस्य अन्य से वेद पढवाते रहे, उच्च गुणवत्ता का सर्वांगीण विकास मुखी अध्यापन न हो, छात्रों को बोर्ड का प्रमाण पत्र दिलाने में बाधा डाली जाय, तथा प्रतिष्ठान के सचिव का दुष्प्रचार कर सके।

14. विगत 2 वर्षो से राष्ट्रीय शिक्षा निति के लाभ तथा उसके कार्यान्वयन के तरीके, प्रमाण पत्रों को मान्यता दिलाने के विषय में सभी अध्यापकों तथा छात्रों एवं अन्य हितधारकों को विविध अवसरों पर आनलाइन माध्यम से मीटिग कर सूचित किया गया। इसी क्रम में विगत 2 वर्ष में सस्वर वेद न सुनाने पर गंभीर परिणाम होंगे इसे भी अध्यापको को सूचित कर दिया गया था। <u>योग्य तथा मान्य प्रमाण – पत्र के अभाव में सरकारी अनुदान सहायता प्राप्त करते रहना किसी प्राकृतिक अधिकार के अन्तर्गत नही आता है।</u>

अतः श्री योगेश शर्मा एवं श्री ब्रजेश शर्मा के साथ अध्ययनरत छात्र जब तक मासिक परीक्षा में भाग नही लेंगे तथा श्री योगेश शर्मा एवं श्री ब्रजेश शर्मा नियमानुसार संपूर्ण माध्यन्दिन शाखा सस्वर वेद नहीं सुनाएंगे, तब तक आपकी पाठशाला का अनुदान बन्द रहेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही, पूर्व पत्र में जैसा कि आप को सूचित है, आपकी होगी। श्री महर्षि वेदव्यास वेद विद्यापीठ के अन्य अध्यापक जैसे श्री शेषराज रेग्मी आदि का भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को प्रतिष्ठान में लागू करने के विरोध के कारण बन्द रहेगा।

सक्षम अधिकारी के स्वीकृति से निर्गत किया गया।

भवदीय

(डा. अनूप कुमार मिश्र)

अनुभाग अधिकारी (प्र.)